अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर
Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravvnl@gmail.com website:- www.avvnl.com

क्र. अविविनिलि / अधी.अभि.(यो) / अधि.अ.(यो.) / सहा. अभि (आरई) / अज / 2017–18 / प्रे. 4972 दि 27.09.17

अधीक्षण अभियन्ता (पवस)
अविविनिलि,
अजमेर(एसीसी / एडीसी) / भीलवाडा / नागौर / झुंझुंनू / सीकर
बांसवाड़ा / डूंगरपुर / चितौडगढ / प्रतापगढ / राजसमन्द / उदयपुर।

विषय–"सोलर पम्प कृषि कनेक्शन योजना" में प्रावधान व आवेदन के संबंध में।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2564 दिनांक 19.07.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी सन्दर्भित पत्र में यह प्रावधान किया गया था कि जो कृषि कनेकशन आवेदन विद्युत वितरण निगमों में 3एचपी / 5एचपी के लिये सामान्य श्रेणी में पजीकृत थे, उनके द्वारा उद्यानिकी विभाग में सोलर पम्प सैट स्थापित करने हेतु अपने कृषि कनेक्शन आवेदनों को समर्पित कर दिया था एवं इन आवेदकों को आज दिनांक तक सोलर कृषि कनेक्शन, उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे आवेदक भी रु 1000 / – पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा जारी सोलर कृषि पम्प स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी।

उक्त प्रावधान के अधिक्रमण में अब यह प्रावधान किया जाता है कि अब ऐसे आवेदकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर कृषि पम्प स्थापित नहीं किये जाने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु ऐसे आवेदक रु 50 / – के नॉन जयुडिशियल स्टामप पर शपथ पत्र (सलंग्न परिशिष्ट–अ) प्रस्तुत कर रु 1000 / – पंजीकृत शुल्क जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इनकी वरीयता मूल आवेदन की तिथि के अनुसार ही मानी जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नये आवेदक जो कि सामान्य श्रेणी में पंजीकृत करवाकर सोलर कृषि कनेक्शन योजना में आवेदन करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र उद्यानिकी विभाग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ई. डी.एन. जांगिड)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान संभागीय मुख्य अभियन्ता (पवस / प्रोजेक्ट / मुख्यालय), अविविनिलि, अजमेर / झुंझुंनू / उदयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता (एमएम / टी.डबल्यू / आई.टी. / एम.एण्ड.पी / सर्तकता / आइ.एण्ड.एस), अविविनिलि, अजमेर। अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी.), अविविनिलि, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को वेब पोर्टल पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अविविनिलि, अजमेर।
4. प्रावैधिक सहायक, निदेशक (तकनीकि), अविविनिलि, अजमेर।
5. अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिवेन्सेज), अविविनिलि, अजमेर।
6. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

6/10/2017

SE (IT), AVVNL, Ajmer
RR No. 1847 Date 6/10/2017
Section........................

परिशिष्ट–अ

शपथ पत्र

(50 रूपये के नान–ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

नोटरी पब्लिक /प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेड द्वारा सत्यापित

मैं————————————पुत्र श्री————————————

निवासी———————————— ग्राम————————————

तहसील ————————————जिला————————शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ

कि मेरे खसरा नं.———————————— ग्राम———————— तहसील————————

पर उद्यानिकी विभाग द्वारा सोलर पम्प संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है एवं ना ही यह प्रक्रिया में है

————————

दिनांक–

स्थान–

आवेदक

हस्ताक्षर

मुद्रा नोटरी पब्लिक/ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेड